संख्या:156/2016/680/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल,2016

विषयः वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली में शासनादेश संख्या:155/2015/477/35-4-2015 दिनांक 29 मार्च,2015 तथा शासनादेश संख्या:156/ 2015/ 478/35-4-2015 दिनांक 29 मार्च,2015 के द्वारा लघु सेतु निर्माण के 02 कार्यो की रू. 1002.82 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 164.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:561 बी.जी/7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/2016-17 दिनांक 07 अप्रैल,2016 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए निम्नांकित तालिका में इंगित विवरण के अनुसार रू. 837.95 लाख (रूपये आठ करोड़ सैंतीस लाख पंचानवे हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	शासनादेश संख्या/दिनांक	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	विकास खण्ड हरचन्दपुर में चौहनिया के कोरिन के पुरवा के बगल नईया पर लघु सेतु व पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	155/2015/477/35-4-2015 दिनांक 29 मार्च,2015	553.38	82.44	470.94
2	विकास खण्ड हरचन्दपुर में पूरे अन्नत मजरे गुलूपुर नईया पर लघु सेतु व पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	156/2015/478/35-4-2015 दिनांक 29 मार्च,2015	449.44	82.43	367.01
	योग		**1002.82**	**164.87**	**837.95**

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 29 मार्च,2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-(सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें- 101-पुल-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-सेतुओं के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://sansandesh.up.nic.in

संख्या:156/2016/680(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, लखनऊ।
7-जिलाधिकारी, रायबरेली।
8-मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
9-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम।
10-मुख्य कोषाधिकारी, रायबरेली।
11-गार्ड फाईल।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- राज्य योजना आयोग-1
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in